RAJASTHAN

Summary

- **Travel Concession for PLHIV**
  75% concession in travel fare for People Living with HIV.
- **Antyodaya Anna Yojana**
  Extended the benefits of AAY (Food Grains) under Targeted Public Distribution System to People Living with HIV in subsidized price
- **Free Blood Unit from Blood Bank**
  Free blood unit to People Living with HIV.
- **Financial Assistance (Palanhar)**
  Financial assistance of Rs. 500/- to Rs. 1000/- to guardian of Orphan Children Affected by AIDS for education and other social & economic needs.
- **Widow Pension**
  Widow Pension to widow women infected with HIV irrespective of her age.
- **Free treatment**
  Free diagnosis, treatment and medicine to People Living with HIV under chief minister relief fund.
- **Inclusion of Third Gender in Voter ID, Housing**
  Inclusion of third gender in Voter Identity card
- **Special Cell- Third Gender**
  Anti discrimination cell against third gender in colleges
- **Safeguard the rights of transgender (SALSA)**
  Directive issued by Rajasthan State Legal Service Authorityw.r.t. safeguard the rights of TGs.
- **Prioritizing Transgender in Social Welfare Schemes**
  Prioritizing Transgenders communities for extend the benefits of social welfare schemes
- **Support to TGs in Higher Education Institutions**
  Liberalize and waive off fee in Higher Education Institutions for Transgenders.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांक एफ-4/मु0/याता/लेखा/2010/48 दिनांक:- 29-01-10

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या एफ-4/मु0/याता/लेखा/2003/505 दिनांक 25.8.2003 द्वारा एड्स रोग से पीडित रोगियों को जिनके पास चिकित्सा विभाग द्वारा गठित तीन चिकित्सकों के दल द्वारा एच.आई.वी.पोजिटिव होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हे ईलाज हेतु अपने निवास से अस्पताल आने -जाने पर किराया में 75 प्रतिशत रियायत प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई थी । उक्त आदेश में रोग/रोगी को एड्स रोग /एड्स रोगी से सम्बोधित किया गया था ।

परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाऐं, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र कमांक एड्स/अ.आर.टी./2009/4310 दिनांक 9.11.2009 के द्वारा अवगत कराया गया है कि चिकित्सा विभाग द्वारा गठित तीन चिकित्सको के दल द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र मे भविष्य में एड्स/एच.आई.वी. पोजिटीव की जगह रोग का नाम **"Immuno-compromised."** उपयोग में लिया जावेगा । यह एड्स रोग का ही सम्बोधन है ।

अतः उक्त के कम में सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में चिकित्सा विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित दल द्वारा **" Immuno-compromised. " /" H I V "** रोग का प्रमाण पत्र जारी करने पर उसे एड्स रोगी का सम्बोधन मानकर एड्स रोगी को देय रियायती सुविधा पुर्वानुसार ईलाज हेतु निवास से अस्पताल तक आने -जाने के लिए दी जावे । परिचालक ऐसे प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति को जारी किये जाने वाले रियायती यात्रा टिकिट (75 प्रतिशत रियायत) पर एड्स रोग का सम्बोधन अंकित नही करें तथा रियायती यात्रा टिकिट पर **"विशेष श्रेणी"** लिखकर ही टिकिट जारी करेगें ।

यह आदेश माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किए जा रहे है ।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु0/याता/लेखा/2010/48 दिनांक:- 29-01-10

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं अध्यक्ष ,राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, निदेशालय, चिकि0 एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. आयुक्त एवम् शासन सचिव,परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. परियोजना निदेशक,राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, निदेशालय, चिकि0 एवं स्वा0 सेवाऐं, राज0 जयपुर को पत्र कमांक एड्स/अ.आर.टी./2009/4310 दिनांक 9.11.2009 के कम में ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष .... राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर ।
7. महा प्रबन्धक .... राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
8. जोनल मेनजर राजस्थान परिवहन निगम ....जोन...........................
9. उप महा प्रबन्धक( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
10. कार्यकारी प्रबन्धक(जनसर्म्पक)राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
11.. लेखाधिकारी (टिकिट स्टोर) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
12. सहायक लेखाधिकारी (वसूली) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
13. मुख्य प्रबन्धक,/प्रबंधक (वित्त/याता) राजस्थान परिवहन निगम,..का प्रेषितकर निर्देशित किया जाता है कि सभी. सम्बन्धित को उक्त व्यवस्था से अवगत कराकर पालना सुनिश्चित की जावे । यह विशेष ध्यान रखेगें कि इन्हे जारी टिकिट पर एड्स का सम्बोधन अंकित न हों ।
14 आदेश पत्रावली ।

1081 २५१

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 13(48) खा.वि./अन्त्योदय अन्न योजना /2000-II जयपुर,दिनांक 08/2/10

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— एड्स पीड़ितों को ए.ए.वाई. सूचि में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.06.2009 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि समस्त एच.आई.वी. (HIV) पीड़ित व्यक्तियों को जो वर्तमान में बी.पी.एल. में सम्मिलित नहीं है, इनका चयन किया जा कर इन्हें ए.ए.वाई. में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जावे।

इस क्रम में राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी जयपुर से प्राप्त पीड़ित व्यक्तियों की [illegible] कर सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, कृपया तुरन्त इन्हें ए.ए.वाई. योजना में चयनित कर विभाग को अवगत करावें।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

आवश्यक / फैक्स / ई–मेल अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(48)खा.वि./अ.अ.यो./2000–11 जयपुर, दिनांक 29/12/14

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– एड्स पीड़ित परिवारों को बीपीएल में शामिल करवाया जाकर अन्त्योदय अन्न योजना सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– भारत सरकार का पत्रांक No. 13(15)/2009-PD-III दिनांक 03.06.2009 एवं विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2010 एवं 28.04.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियाँ एवं राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी से प्राप्त जिलेवार एच.आई.वी./एड्स पीड़ितों की सूची इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एच.आई.वी./एड्स पीड़ित परिवारों को बीपीएल में शामिल करवाया जाकर अन्त्योदय श्रेणी में शामिल किया जाना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 03.06.2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान अन्त्योदय सूचियों की समीक्षा की जाकर एच.आई.वी. पीडित परिवारों को शामिल किया जाना है। ज्ञातव्य है कि अन्त्योदय परिवारों की सूचियां दस वर्ष पूर्व बनायी गयी थी। तत्समय राज्य में कुल 932101 परिवारों का चयन किया गया था, जिसका विवरण **(Annexure-1)** संलग्न है। संभव है कि कुछ एकल सदस्यीय परिवार अब अस्तीत्व में ही नहीं हो। अतः जिलेवार अन्त्योदय परिवारों की वर्तमान संख्या सीमा में रहते हुए एच.आई.वी. परिवारों को इस सूची में शामिल करने में कोई समस्या नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि कम्प्यूटरीकृत राशनकार्ड डाटा में अन्त्योदय परिवारों की सूची पृथक से तहसीलवार–जिलावार उपलब्ध है। जिलों से प्राप्त डाटाबेस के आधार पर जिलेवार अन्त्योदय परिवारों की संख्या अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है। परन्तु यह सूची पूर्ण नहीं है। संभव है कि कुछ अन्त्योदय परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में वर्गीकृत हो गये हों। लिहाजा पंचायतवार वर्तमान में उपलब्ध अन्त्योदय परिवारों की सूची को अद्यतन कर ऑनलाइन फीड किया जाना सुनिश्चित करें। अन्त्योदय परिवारों की संपूर्ण सूची भामाशाह योजना में फीड किये जाने हेतु सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा भी चाही जा रही है।

अतः इस संबंध में 31 जनवरी, 2015 तक सम्पूर्ण कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

E:\DHARMENDRA KUMAR BOLYA\FOODGran\Letters, 2014.doc

1081

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ 13(48) खा.वि./अन्त्योदय अन्न योजना /2000–II जयपुर,दिनांक 08/2/10

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान ।

विषयः– एड्स पीड़ितों को ए.ए.वाई. सूचि में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार,कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.06.2009 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि समस्त एच.आई.वी. (HIV) पीड़ित व्यक्तियों को जो वर्तमान मे बी.पी.एल. में सम्मिलित नहीं है, इनका चयन किया जा कर इन्हे ए.ए.वाई. में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जावें ।

इस क्रम में राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर से प्राप्त पीड़ित व्यक्तियों की जिले वार सूचि संलग्न कर प्रेषित की जा रहीं है, कृपया तुरन्त इन्हे ए.ए.वाई. योजना में चयनित कर विभाग को अवगत करावें ।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

...\Desktop 18-6-08\Kana Ram Jee\Kana Ram_6.doc

२५५

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांकःएफ. 13(48)खा.वि./अ.अ.यो./2000–II

जयपुर, दिनांक 28/4/10

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– एड्स पीडितों को अन्त्योदय अन्न योजना सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2010

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी से प्राप्त जिलेवार एचआईवी /एड्स पीड़ितों की सूची संलग्न प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एचआईवी /एड्स पीड़ितों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना से लाभान्वित किया जाना है।

इस संबंध में जो परिवार बीपीएल श्रेणी में चयनित हैं, उन्हें अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित करने की कार्यवाही करावें और जो परिवार बीपीएल श्रेणी में चयनित नहीं हैं उनको निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीपीएल श्रेणी में चयन कराकर अन्त्योदय अन्न योजना से लाभान्वित कराने का श्रम करावें। कृपया भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

I:\d\letter.doc

12

IMMEDIATE
BY SPEED POST

No.13(15)/2009-PD-III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 3rd June, 2009

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
(All State/UT Governments)

Subject: Extending the benefits of Antyodaya Anna Yojana (AAY) scheme under Targeted Public Distribution System (TPDS) to HIV positive persons – Regarding.

Sir,

I am directed to say that in order to make the TPDS more focused and targeted at the poorest of the poor Antyodaya Anna Yojana was launched in December, 2000 for one crore families to be identified amongst the BPL families. Coverage under this scheme has been expanded thrice since then i.e. during 2003-04, 2004-05 and 2005-06, vide communications No.6(4)/2003/PD-I dated 5th June, 2003, No.6(1)/2004/PD-I dated 3rd August, 2004 and No.6(5)/2005/PD-I dated 12th May, 2005, respectively, covering additional 50 lakh households each time. As per these instructions, the Antyodaya Anna Yojana (AAY) families were to be identified from the BPL families in each State. In the said guidelines it has, inter-alia, been laid down specifically that widows or terminally ill persons or disabled persons with no assured means of subsistence or family/societal support would be eligible for coverage under AAY, provided they are in the BPL list of the concerned State/UT.

2. As the State/UT Governments may be aware, a PIL has been filed by the social activists and Persons Living with HIV/AIDS (PLHA) in the Hon'ble Supreme Court. In this regard relevant extracts of Order dated 26.3.2009, passed by the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No.535/1998, are given below :-

---"Learned counsel appearing for the petitioner stated that many of these patients are living Below the Poverty Line and so they should be provided with 'Antyodaya Anna Yojana Card' to get food supply from PDS stores and so also some of these patients have to visit the distant hospitals regularly and therefore they should be issued free passes in public transport system. We hope that HIV/AIDS patients would get the proper line of treatment".

3. Keeping in view the above order of the Hon'ble Supreme Court and provisions in the existing AAY guidelines as in para 1 above, all State/UT Governments are requested to review the existing list of AAY families in their respective States/UTs, delete ineligible AAY families therefrom and include all eligible BPL families of HIV positive persons in the AAY list on priority, against the criteria mentioned in para 2(b) and 2(c) of the guidelines for identification of AAY families under Antyodaya Anna Yojana, circulated vide D.O. letter No.6(5)/2005/PD-I dated 12th May, 2005, within respective ceilings on numbers of the AAY families communicated by this Department.

Yours faithfully,

(Lalit Chauhan)
Under Secretary to the Government of India
Tele No.011-23388571

247

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

क्रमांक:एफ 13(48)खा.वि. / अ.अ.यो. / 2000–II

3/4/1

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:– एड्स पीड़ितों को अन्त्योदय अन्न योजना सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

सदर्भ:– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2010

वितरण
4–5/6

संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल [illegible] से प्राप्त जिलेवार एचआईवी / एड्स [illegible] की सूची संलग्न प्रेषित कर लेख है [illegible] अन्त्योदय अन्न योजना में [illegible] किया जाना है।

[illegible] को चयनित करने की कार्यवाही करावें और जो परिवार बीपीएल श्रेणी में चयनित नहीं है [illegible] निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीपीएल श्रेणी में चयन करवाकर अन्त्योदय अन्न योजना से लाभान्वित कराने का श्रम करावें। कृपया भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

516
4/5

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी

(निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर)
(फोन नं. 0141-2225532, 2722452 फैक्स नं. 0141-2221792)

दिनांक

क्रमांक एड्स/रक्त सुरक्षा/(01)/2006/

परिपत्र

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.05 को प्रबन्ध कार्यकारिणी कमेटी, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार समस्त ब्लड बैंक्स (सरकारी एवं गैर सरकारी) को निर्देशित किया जाता है कि PLWHA (People Living with HIV/AIDS) को रक्त की आवश्यकता होने पर रक्त बिना डोनर के निःशुल्क उपलब्ध कराया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

परियोजना निदेशक
राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल
सोसायटी, जयपुर (राज.)

दिनांक

क्रमांक एड्स/रक्त सुरक्षा/(01)/2006/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व अध्यक्ष राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (रक्त सुरक्षा), नाको, नई दिल्ली।
3. निदेशक, PH/FW/AIDS/IEC/ESI/Mobile Surgical Unit
4. परियोजना निदेशक, NRHM/RHSDP
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान, प्रथम/द्वितीय, मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, जोन
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
11. प्रभारी अधिकारी रक्त बैंक

परियोजना निदेशक

249

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(206)पुबाग/सान्याअवि/07/ 25816 जयपुर, दिनांक : 30/4/10

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 46595 दिनांक 07.08.2007 व आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है:-

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
2(6) (परिभाषा)	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो।	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हो।
3 (5 ब)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कुष्ठ पीड़ित को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3 (5 स)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए एड्स पीड़ित को राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
4 (5)	वर्तमान उपनियम 4(5) को 4(6) क्रमांकित कर 4(5) नया उपनियम प्रतिस्थापित किया।	कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की प्रत्येक संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के प्रकरणों में उनकी चिकित्सा से रोग दूर होने बाद भी योजनान्तर्गत नियमानुसार सहायता जारी रहेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अन्तं विभागीय टीप संख्या 101001333 दिनांक 28.04.2010 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहे है।

आयुक्त 30/04

D:\RAJEEV\CO BUDGET\BUDGET 2010-11\BUDGET GHOSNA ...

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208)पुपाअ/सान्याअवि/07/ 16301 जयपुर, दिनांक : 7/3/2011

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007, आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010 एवं आदेश संख्या 25816 दिनांक 30.04.2010 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है:-

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
2(6) (परिभाषा)	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हो।	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हो अथवा जिनकी माता उन्हें छोड़कर नाते चली गई हो और उसे नाते गए हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है।
3 (5 द)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	नाते जाने वाली माता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सभा की सिफारिश पर सचिव-ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित नगर परिषद/नगर निगम/नगर पालिका के यथास्थिति आयुक्त /मुख्य कार्यकारी /अधिशाषी अधिकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3 (7)	15 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद इन बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रखा जायेगा। छात्रावास में अवकाश होने पर इन अनाथ बच्चों को पालनहार द्वारा रखा जायेगा, जिसके लिए पालनहार को अवकाश अवधि के अनुपात में मासिक अनुदान मिलेगा। ऐसे अनाथ बच्चों की सम्पत्ति का विवरण विभाग द्वारा तहसीलदार/नगरपालिका एवं पंचायत को दिया जायेगा जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी (इनके वयस्क होने तक) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी।	विलोपित।
4 (अनुदान सहायता)	(1) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों को छोड़कर प्रत्येक अनाथ बच्चे	(1) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाते जाने वाली माता के बच्चों को

C:\Users\CLU\Sun\Desktop\AASHWAN 04-2008 Related with PALANHAAR.doc

8/3/2011

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
	के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	छोड़कर प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
	(2) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के मामले में उसके केवल एक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500 रूपये प्रतिमाह एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी।	(2) नाता जाने वाली माता की एक संतान हेतु एवं निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी एक संतान हेतु विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी।
	(3) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के एक से अधिक बच्चें होने पर नियम 4(2) के अनुसार उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक बच्चें के लिए मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी।	(3) पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र जिला अधिकारी या सक्षम अधिकारी को देना होगा, जिसकी जाँच के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
	(4) विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्षों के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रू. प्रतिमाह उक्त नियमों के अध्यधीन अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते–जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2,000 रू. वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	(4) यथावत।
	(5) कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की प्रत्येक संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	(5) यथावत।
	(6) पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदनपत्र जिला अधिकारी या सक्षम अधिकारी को देना होगा, जिसकी जॉच के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।	(6) यथावत।

यह आदेश वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 101004466 दिनांक 09.02.2011 से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहे है।

आयुक्त 3/11

C:\Users\...\PALANHAAR.doc

252

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेड़कर भवन, जी 3/1, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।

क्रमांक : एफ 14(1)(पालनहार)/मुवास/सान्याअवि/12–13/33636 जयपुर, दिनांक 29.3.013

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम 2007 एवं आदेश संख्या 16901 दिनांक 3.3.2011 के नियम 4 में निम्न संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है–

नियम एवं उप नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
4	प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिये विभाग द्वारा प्रारंभिक 5 वर्ष के लिये 500/–रु. प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिला होने के पश्चात 675/–रु. प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिये 2000/–रु. वार्षिक अनुदान दिया जायेगा।	प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिये विभाग द्वारा प्रारंभिक 5 वर्ष के लिये 500/–रु. प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिला होने के पश्चात 1000/–रु. प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाते गयी माता की संतान को छोडकर प्रत्येक बच्चे के लिये वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिये 2000/–रु. वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161300545 दिनांक 29.3.2013 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी होंगे।

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 14(1)(पालनहार)/मुवास/सान्याअवि/12–13/33637–779 जयपुर, दिनांक 29.7.013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग/नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखा व हक, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/नगरीय विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/चिकित्सा विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय –2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, ...
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम, ...
10. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), मुख्यावास।
11. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उपनिदेशक (बाल कल्याण)/सहायक निदेशक (महिला कल्याण)/सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार–प्रसार।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...
14. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
15. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, ...
16. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह/सम्प्रेक्षण गृह/सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/अपचारी बालिका गृह/विशेष गृह/शिशु गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
17. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव

D:\Devesh Chhipa\2012\Accounts\Letter for Palanhar Budget Allot. 2012-13.docx Page 35

Ph. No. : 0141-2226640
Website: www.sje.rajasthan.gov.in
Fax No. : 0141-2226631
E-mail: ccosjerajasthan@gmail.com

Government of Rajasthan
Social Justice & Empowerment Department

No. F 9(5)(18)OAP/SJED/05-06/ 10799 Jaipur, Dated 28-2-09

ORDER

Sub Amendment in rules governing grant and payment of Old Age and Widow Pension to destitutes

The Governor is pleased to order that the following amendment shall be made in the Rajasthan Old Age and Widow Pension Rules 1974, namely :-

In the said Rules, the following proviso is added under the Rule 2

"Provided further that notwithstanding anything contained in this clause, a widow of any age who is HIV/AIDS positive and registered with the Rajasthan State Aids Control Society, shall also be included in the definition of the destitute for the purpose of these Rules"

This order shall come into force with immediate effect

This bears the concurrence of Finance Department (Rules Division vide their I.D. No. 5204 dated 10-2-09.

By Order,

Commissioner & Secretary to Government

No. F. 9(5)(18)OAP/SJED/05-06/ 10703-10780 Jaipur, Dated 28-2-09

Copy forwarded to :-

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. PA to State Minister, Social Justice & Empowerment Department, Rajasthan
3. P.S. to Principal Secretary (I), Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
4. P. S. to Principal Secretary, Finance Department, Rajasthan.
5. P.S. to Principal Secretary, Social Justice & Empowerment, Rajasthan
6. All District Collectors, Rajasthan.
7. Deputy Secretary, Finance (Rules Division), Department, Rajasthan, Jaipur.
8. Deputy Secretary, Finance (GF& AR), Department, Rajasthan, Jaipur
9. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur.
10. All Treasury Officers, Rajasthan.
11. Administrative Reforms (Gr.7) Department, Rajasthan, Jaipur
12. Vidhi Rachna Sangthan for Hindi Translation.

Chief Accounts Officer

अति आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक F29(39)NRHM/MMJRK/Circular/09/5690 दिनांक 9/12/2009

परिपत्र

राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा 113/2009 की अनुपालना में राज्य के समस्त HIV/AIDS मरीजों को तुरन्त प्रभाव से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पूरी जाँच, मुफ्त दवा और पूरे निदान की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय एतद द्वारा लिया जाता है।

(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक / अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला / सैटेलाइट / उप खण्ड चिकित्सालय।
12. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
15. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित को ई-मेल करवाने का श्रम करावें।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(30)नविवि/जनरल/2014 जयपुर, दिनांक 14 OCT 2014

आयुक्त/सचिव,
समस्त विकास प्राधिकरण/
नगर सुधार न्यास/आवासन मण्डल।

विषयः— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सिविल रिट याचिका 400/2012 के द्वारा ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिये गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर अभिमत दिये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सिविल रिट याचिका 400/2012 के द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियो को आवास सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में लेख है कि योजनाओं में भूखण्ड का आवंटन राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम—1974 के नियम—17 में आवंटन किया जाता है।

आवास योजनाओं के आवंटन के संबंध में जो फार्म/आवेदन पत्रों का प्रकाशन किया जाता है, उन आवेदन पत्रों के प्रारूपों में आवेदक/प्रार्थी का Gender पूछा जाता है। उक्त प्रारूपो में पुरूष/स्त्री के स्थान पर पुरूष/स्त्री/अन्य लिखा जावे। अन्य में ट्रांसजेण्डर को भी स्त्री एवं पुरूष के समान एक वर्ग मानते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग, जयपुर।
2. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. सयुक्त शासन सचिव—प्रथम नविवि।
4. उप शासन सचिव—द्वितीय नविवि।

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

256

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

कमांक एफ 3(3)1/रोल/निर्वा/2013/3486 जयपुर दिनांक 31.7.13

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित :– श्री मुदित कुमार सिंह
कार्यक्रम अधिकारी,
साथी, मकान नं. डी.–62, ग्राउन्ड फ्लोर,
चौमू हाउस के पास, सी–स्कीम,
जयपुर।

विषयः– मतदाता पहचान पत्र में "अन्य" वर्ग अंकित करने बाबत्।
प्रसंगः– आपका पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2013 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के आवेदन पत्र संख्या–6 में लिंग पुरूष एवं स्त्री के अलावा तृतीय वर्ग के लिए विकल्प "अन्य" सम्मिलित किया हुआ है, इसी आधार पर मतदाता पहचान पत्र तैयार किये जाते है, तथा मतदाता सूचियों में वर्ग विशेष अंकित करने हेतु विभाग स्तर पर विशेष तौर से निर्देश दिनांक 24.07.2013 भी जारी किए गये है, जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी.सी.गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

D:\PAWAN JI S R\LETTER

DIR-NEW-EPIC

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक: एफ॰ 3/III-A/Elec./EPIC-VII/Gen./11/ 3230 जयपुर, दिनांक : 24 07.2013

प्रेषक :— मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति : 1. मै. मल्टीवेव इनोवेशन, बी–4, गणपति प्लाजा के पीछे, जयपुर
2. मैं. बाइनरी सिस्टम्स, बी–6, अक्षत अपार्टमेन्ट, बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
3. मै. बिजनेस इन्फोरमेशन प्रोसेसिंग सर्विसेस, 128, विद्युत नगर बी, क्वींस रोड, जयपुर
4. मे॰ नैचुरल साफ्टवेयर्स प्रा. लि. सी–2, पंचशील कॉलोनी, पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, जयपुर
5. मै॰ जैम कम्प्यूटर्स, बी–2, अक्षत अपार्टमेंन्ट, बीहारी मार्ग, बनीपार्क जयपुर

विषय :— मतदाता फोटो पहचान पत्रों में मतदाता का स्त्री लिंग अंकित करने संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नये मतदाताओं द्वारा प्रपत्र संख्या 6 में स्वयं के लिंग का उल्लेख किया जाता है, जिसके आधार पर मतदाता सूची के डेटा में पुरूष मतदाता के लिये "M" महिला मतदाता के लिये "F" एवं अन्य के लिये "O" स्टोर किया जाता है।

अतः यह सुनिश्चित करावें कि यदि मतदाता सूची के डेटा में मतदाता का लिंग "M" है तो पहचान पत्र में मतदाता का लिंग पुरूष, "F" है तो स्त्री एवं "O" है तो अन्य अंकित करावें।

भवदीय,

(एम.एम.तिवाडी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.)
राजस्थान, जयपुर ।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/विविध/2010/246 दिनांकः 21 नवम्बर, 2014

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजि महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल रिट पिटिशन संख्या 400/12 दिनांक 15.04.2014 के द्वारा ट्रान्सजेन्डर समुदाय के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर अभिमत दिये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप महाविद्यालय में transgender community के विरूद्ध किसी भी प्रकार के discrimination को monitor करने हेतु discrimination special cell बनाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/विविध/2010/246 दिनांकः 21 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपिः वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

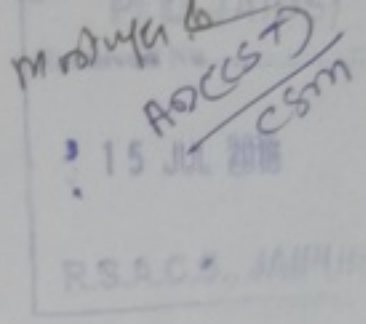

Madhya ACCST CSM
15 JUL 2015
R.S.A.C.S., JAIPUR

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(48)खा.वि./आवंटन/2000-।। जयपुर, दिनांक 07.07.2015

जिला कलक्टर,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जिला रसद अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

विषयः- एच.आई.वी. (एड्स) पीडित परिवारों को (जो बीपीएल सूची में शामिल हैं) को अन्त्योदय अन्न योजना की सूची में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के कम में।

प्रसंगः- भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 03.06.2009 एवं विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.02.2010, 20.06.2011 तथा 28.05.2012 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि उक्त पत्रों द्वारा भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.06.2009 (छायाप्रति संलग्न) की विभाग द्वारा सहवन से गलत व्याख्या किए जाने के कारण जिला रसद अधिकारियों को पत्र दिनांक 08.02.2010 व 20.06.2011 तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र दिनांक 25.06.2009, 26.08.2009, 26.11.2009 व 28.05.2012 एवं ग्रामीण विकास एवं राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी को पत्र दिनांक 27.07.2012 प्रेषित किए जाकर सूचना प्राप्त की जाती रही कि:-

"समस्त एच.आई.वी. पीडित परिवारों को, जो वर्तमान में बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, इनका चयन किया जाकर इन्हें अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित कर लाभ प्रदान किया जावे।"

जबकि प्रासंगिक पत्र के संबंध में रिट पिटिशन (सिविल) संख्या-535/1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2009 द्वारा निम्नलिखित आदेश प्रदान किए गए हैं:-

"Learned counsel appearing for the petitioner stated that many of these patients are living below the Poverty Line and so they should be provided with 'Antyodaya Anna Yojana Card' to get food supply from PDS stores..."

अतः इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.06.2009 का बिन्दु संख्या–3 निम्नानुसार है:–

"3. Keeping in view the above order of the Hon'ble Supreme Court and provisions in the existing AAY guidelines as in para 1 above, all State/UT Governments are requested to review the existing list of AAY families in their respective States/UTs, delete ineligible AAY families therefrom and include all eligible BPL families of HIV positive persons in the AAY list on priority, against the criteria mentioned in para 2(b) and 2(c) of the guidelines of AAY families under Antyodaya Anna Yojana, circulated vide D.O. letter No. 6(5)/2005/PD-I dated 12th May, 2005, within respective ceilings on numbers of the AAY families communicated by this Department."

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1 उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
6 निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
7 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
8 रक्षा पत्रिका।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES , JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877)
email: rslsajp@gmail.com website:www.rlsa.gov.in

No. 508-542 Dated 19.04.2014

To

The Chairman
District Legal Services Authority
All Rajasthan.

SUB: Directions given by Hon'ble the Apex Court to safeguard the rights of transgender community.

Sir,

With reference to the above mentioned, I am under direction to intimate you that under judgment dated 15.01.2014 passed in case of National Legal Services Authority Vs. Union of Indian & Others (Writ Petition No. 400 of 2012), Hon'ble the Apex Court has issued following directions to safeguard the interest of transgender community:-

(2) Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.

(2) Transgender persons' right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Governments are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female or as third gender.

(3) We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.

(4) Centre and State Governments are directed to operate separate HIV Sero-survellance Centres since Hijras/ Transgenders face several sexual health issues.

(5) Centre and State Governments should seriously address the problemsbeing faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.

(6) Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate

public toilets and other facilities.

(7) Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.

(8) Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part and parcel of the social life and be not treated as untouchables.

(11) Centre and the State Governments should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life.

Complete text of the aforesaid judgment can be accessed and downloaded from the official website of Hon'ble Apex Court, the link of which is as under:-

http://judis.nic.in/supremecourt/qrydisp.aspx?filename=41411

Copy of letter dated 16.04.2014 received from National Legal Services Authority in this behalf is enclosed herewith.

This is for kind information and necessary action. Please send the compliance report within a fortnight.

With regards.

Yours sincerely

Encl. As Above

(K.B.Katta)
Member Secretary

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजिडेंसी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक एफ 15 ( ) ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/ 36459-92 दिनांक 8/06/2016

जिला कलेक्टर,

.....।

ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोडने हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन बाबत।

उक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग आदेश कमांक प 6 (20)प्र.सु. ग्रु–3/2016 दिनांक 01.04.2016 द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोडने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्यों का मनोनयन किया जायेगाः–

1. सामाजिक कार्यकर्ता
2. तृतीय लिंग वर्ग के 2 प्रतिनिधि
3. एक मनोवैज्ञानिक (स्थानीय स्तर पर उपलब्ध)

क.सं. 3 पर मनोवैज्ञानिक का मनोनयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है। क.सं. 1 पर सामाजिक कार्यकर्ता तथा क.सं. 2 पर तृतीय लिंग वर्ग के 2 प्रतिनिधि का मनोनयन जिला कलेक्टर की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। कृपया क.सं. 1 एवं 2 हेतु मनोनयन के प्रस्ताव मय अभिशंषा निम्न प्रारूप में भिजवायें :–

क्र. सं.	नाम	सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में/तृतीय लिंग वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में	शैक्षणिक योग्यता	पूर्ण पता	ट्रांसजेण्डर समुदाय के कल्याण कार्यों के अनुभव का विवरण

यदि किसी प्रकार के दस्तावेज संलग्न किये जाने हो तो दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जा सकते है। कृपया योग्य एवं अनुभवी तथा अच्छे चरित्र एवं निष्ठावान व्यक्तियों के प्रस्ताव मय अभिशंषा भिजवायें।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक क्रमांक एफ 15 ( ) ( )सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/36493-526 दिनांक 8/06/16
प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अभिशंषा से 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(20) प्र.सु./ग्रुप–3/2016 जयपुर, दिनांक 01-04-2016

आज्ञा

महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य में तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :–

क्रं. सं.	अधिकारी	पद
1	कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4	तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5	एक मनोवैज्ञानिक/(स्थानीय स्तर पर उपलब्ध)	सदस्य
6	उपनिदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि	सदस्य – सचिव

उक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की पहचान कर प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र जारी करने का कार्य करेगी। यह प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए मान्य होगा।

उक्त जिला स्तरीय समिति में क्रम संख्या (3) पर अंकित सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्रम संख्या (4) पर अंकित तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि सदस्य जिला कलक्टर की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

क्रम संख्या (5) पर मनोवैज्ञानिक की शैक्षणिक योग्यता एम. ए. (साइकोलोजी) होगी एवं अनुभवी व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, तथा ये बिना कारण बताये हटाये जा सकेंगे।

समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर द्वारा आयोजित की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक इस्तावेज जैसें पंजिकाऐं/पत्रावलियां आदि जिले के उपनिदेशक /सहायक निदेशक (सदस्य–सचिव) द्वारा संधारित की जायेंगी। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासनसचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है।
8. समस्त जिला कलेक्टर
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
11. गार्ड पत्रावली।

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1-ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./15/ 2589 जयपुर, दिनांक :23/6/15

P/D. CS(M) P.O.
Received No....
24 JUN 2015
R.S.A.C.S., JAIPUR

निदेशक
एवं पदेन शासन सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय : एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोग तथा हिंजडा/ट्रांसजेण्डर को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन योजना में सम्मिलित करने बाबत।

प्रसंग : परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर के पत्रांक 1839 दिनांक 16.06.2015 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर ने निदेशालय में प्रासंगिक पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि पूर्व में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 09(05)(13)/वियो.पेंशन/सान्याअवि/2013-14/8344 दिनांक 17 मई, 2013 के द्वारा हिंजडा समुदाय को मुख्यधारा में लाने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अध्याय 2 के नियम 4 (i) के नीचे 4 (ii) एवं 4 (iii) में जोड़कर पेंशन योजना में प्रावधान कर हिंजडा समुदाय को मुख्यधारा के साथ जोड़ा गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया को हिंजडा/ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए सुगम बनाने बाबत पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर से प्राप्त प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुये निवेदन है कि आवेदन प्रक्रिया को हिंजडा/ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए सुगम बनाने किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करायें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी.आर. पण्डत)
निदेशक
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./15/ 2590 जयपुर, दिनांक :23/6/15

प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(अनीता मीना)
अतिरिक्त निदेशक

E:\old-pc-data\Pen\HANDICAPPED\Jagdish jild-16-1-registration-III doc.doc
fax number- 0141-2222249, 2222267

R.S.A.C.S., JAIPUR 16 NOV 2016 2187 eett/PA

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ,जयपुर

Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line- 15100

क्रमांक :–एफ 8 (01)/पैरा–लीगल वॉलियन्टर/DS-II/16071-16105 दिनांक :– 10/11/2016

प्रेषितिः–

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः– पैरा लीगल वोलेन्टियर्स नियुक्ति के कम में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 3121–3338 दिनांक 02.05.2012

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के जरिये पूर्व में जिला प्राधिकरण/तालुका समिति स्तर पर पैरा लीगल वोलेन्टियर्स की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा के निर्देशानुसार HIV के साथ जी रहे लोग, उच्च जोखिम समुदाय एवं ट्रासजेण्डरर्स को, जो PLV की योग्यता पूरी करते हो, PLV के रूप में चयन करें एवं जिला /तालुका स्तर पर नियुक्त करें ताकि वे HIV समुदाय एवं ट्रांसजेण्डर्स को कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर उनको कानूनी जानकारी से सक्षम बना सकें।

भवदीय,
– Sd –
(एस०के०जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांक : 16106 दिनांक : 10-11-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कट्रोल सोसायटी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, जयपुर।

सदस्य सचिव 10/11/16

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–1)/सा.न्या.अ.वि/2015–16/14987 जयपुर,दिनांक : 18/11/16

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 8344 दिनांक 17.05.2013 से प्राकृतिक रूप से हिंजडेपन से ग्रसित व्यक्तियों को पेंशन लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। **"प्राकृतिक रूप से हिंजडेपन ग्रस्त व्यक्ति"** के स्थान पर **"ट्रान्सजेण्डर"** पढा जावे।

(रवि जैन)
निदेशक

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–1)/सा.न्या.अ.वि/2015–16/14988-15186 जयपुर,दिनांक : 18/11/16
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग/राजस्व/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. राजस्थान, जयपुर ।
10. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
11. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी/समस्त विकास अधिकारी।
13. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
14. आदेश पत्रावली।

(डी.सी. चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2013/II/383 दिनांकः 23 जून, 2015

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः ट्रांसजेण्डर (Third Gender) के अभ्यर्थियों के प्रवेश बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांकः 15.04.2014 के अनुसरण में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े तृतीय लिंग के लोगों को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय निर्णयानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

1. यदि तृतीय लिंग (third gender/trans gender) के किसी अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सम्पर्क किया जाता है तो उसे CAF के माध्यम से 31 जुलाई, 2015 तक प्रवेश दिया जावे (CAF में आवश्यक संशोधन किये गये हैं)।

2. इन अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय है।

3. इस वर्ग के अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है।

4. इस वर्ग में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी।

यदि इस वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लिया जाता है तो उसकी सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
23/6/15
संयुक्त निदेशक(अकादमिक),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/परीक्षा/2013/II/383 दिनांकः 23 जून, 2015

प्रतिलिपिः वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

23/6/15
संयुक्त निदेशक(अकादमिक),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर